

**झारखंड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग, राँची।**

पत्रांक:—3/पी०एम०सी०/(प्रशा० स्वी०) 111/2013 ...../राँची, दिनांक: .....

प्रेषक:

ई. शिवा नन्द राय,  
संयुक्त सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,  
झारखंड, हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

**विषय:—सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल राँची के क्षेत्राधीन तजना बराज योजना के पुर्नस्थापन के क्रम में Under sluice गेटों, उत्तोलन प्रणाली, hoist bridge की मरम्मत कार्य एवं अधिष्ठापन कार्य के लिए रु० 72,93,000.00 (रुपये बहत्तर लाख तीरानबे हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

**आदेश—स्वीकृत।**

- 2 सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल राँची के क्षेत्राधीन तजना बराज योजना के पुर्नस्थापन के क्रम में Under sluice गेटों, उत्तोलन प्रणाली, hoist bridge की मरम्मत कार्य एवं अधिष्ठापन कार्य के लिए रु० 72,93,000.00 (रुपये बहत्तर लाख तीरानबे हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 3 मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची के प्रक्षेत्राधीन सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची अंतर्गत तजना बराज योजना के पुर्नस्थापन के क्रम में Under sluice गेटो उत्तोलन प्रणाली, hoist bridge के Chequered plate बदलने, मरम्मत/निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य कराया जाना है।
- 4 सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, राँची के क्षेत्राधीन तजना बराज योजना के पुर्नस्थापन के क्रम में Under sluice गेटो, उत्तोलन प्रणाली, hoist bridge के Chequered plate बदलने, मरम्मत एवं अधिष्ठापन, पेन्टिंग कार्य का प्रावधान किया गया है।
- 5 इस कार्य पर होनेवाला व्यय बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष 4701—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष—80—सामान्य लघुशीर्ष—796 जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना उपशीर्ष—46—सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—43—अनुरक्षण मरम्मत एवं सुसज्जीकरण के अंतर्गत प्रावधानित रु० 800.00 लाख के अधीन विकलनीय होगा।
- 6 इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, राँची होंगे।
- 7 इस कार्य का समावेश वर्ष 2013—14, के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।
- 8 इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2013—14, में प्रारंभ कर वर्ष 2014—15 में पूर्ण किया जायेगा।
- 9 इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।





- 10 इस कार्यान्वयन के पूर्व पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिश निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- 11 प्रावधानित लौह सामग्री में से निकलने वाले लौह सामग्री का 40% राशि संवेदक के विपन्न से कटौती कर राजस्व शीर्ष में जमा करना अनिवार्य होगा।
- 12 राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
- 13 झारखंड कोषागार संहिता के नियम 300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायेगा।
- 14 राशि की निकासी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा (राँची) से की जायेगी।
- 15 प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।
- 16 इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- 17 इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,



(शिवा नन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/(प्रशा० स्वी०) 111/2013 ...../राँची, दिनांक: .....

प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(शिवा नन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/(प्रशा० स्वी०) 111/2013 ...../राँची, दिनांक: .....

प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा (राँची) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(शिवा नन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/(प्रशा० स्वी०) 111/2013 ...../राँची, दिनांक: .....

प्रतिलिपि: सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/संयुक्त सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-1 जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (याँत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू/अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) सिंचाई याँत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई याँत्रिक प्रमण्डल, राँची/अधीक्षण अभियंता योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।





(शिवा नन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि.)



पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/(प्रशा० स्वी०) 111/2013 ...../राँची, दिनांक: .....

प्रतिलिपि: आयुक्त, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

एन-

(शिवा नन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/(प्रशा० स्वी०) 111/2013 ...../राँची, दिनांक: .....

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदया के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

एन-

(शिवा नन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/(प्रशा० स्वी०) 111/2013 ...../राँची, दिनांक: 28.02.2014

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

एन- 28/2/14

(शिवा नन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि.)

28/02/14